निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 85/2024
दायरा दिनांकः–10.10.2024
निर्णय दिनांकः– 9-12-24

उनवान

1. कुसुमलता पत्नि देवेन्द्र जाति महाजन निवासी छबडा
2. गोविन्द कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाति धाकड निवासी छबडा
3. देवेन्द्र कुमार बंसल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी छबडा
4. रजनी गेरा पत्नि चन्द्रप्रकाश गेरा जाति खत्री निवासी छबडा
5. सरीता सिंघवी पत्नि अजय सिंघवी जाति महाजन निवासी छबडा
6. भव्य गेरा पुत्र चन्द्रप्रकाश गेरा जाति पंजाबी निवासी छबडा
7. चन्द्रप्रकाश गेरा पुत्र रमेशचन्द गेरा जाति पंजाबी निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 114 सीपीसी आदेश 47 नियम 1 के तहत निर्णय दिनांक 01.10.2024 को रिव्यू बाबत्।

निर्णय दिनांकः– 9-12-24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार गालव– अप्रार्थी (वादी)

प्रार्थी (प्रतिवादी) पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 114 सीपीसी आदेश 47 नियम 1 के तहत निर्णय दिनांक 01.10.2024 को रिव्यू प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय में जेरकार था। जिसमें दिनांक 01.10.2024 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। इससे पूर्व प्रकरण संख्या 01/2023 (जुबेदा बनाम पंचायत कडैयावन अपील नामान्तरकरण संख्या 202) निर्णय दिनांक 02.07.2024 में माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 202 वर्ष 1985 को खारिज किया जाकर पुनः जॉच कर नामांतरकरण किए जाने हेतु आदेश हुए है। उक्त भूमि से सम्बन्धित माननीय न्यायालय द्वारा ग्राम रीछडा तहसील छबडा के खाता संख्या 193 के खसरा नम्बर 228 रकबा 0.4679 है0 खसरा नम्बर 229 रकबा 3.6927 है0 खसरा नम्बर 230 रकबा 1.0749 है0 भूमि में वादी के नाम से माफी रिज्यूमशन हटाने के आदेश दिये गये थें तथा खातेदार नन्दकिशोर पुत्र रितु सिंह के हिस्सा 1/4 के हिस्से 1/2 में वादी क्रम 6 भव्य गेरा एवं हिस्से 1/2 में वादी क्रम 7 चन्द्रप्रकाश गेरा के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये थे। उक्त भूमि से सम्बन्धित माननीय न्यायालय के दो निर्णय दिनांक 1.10.2024 (प्रकरण संख्या 126/2024) एवं निर्णय दिनांक 02.07.2024 (प्रकरण संख्या

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

/23 अपील) प्रभावी है। निर्णय दिनांक 02.07.2024 की पालना हेतु दिनांक 04.10.2024 को ज्ञात हुआ। जब तक माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.07.2024 की पालना नही हो जाती तब तक माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.10.2024 की पालना नही की जा सकती है।

अप्रार्थी (वादी) को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी (वादी) ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी का माननीय न्यायालय से दो बार निर्णय हो गया है तो प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अप्रार्थी (वादी) को कोई आपत्ति नही है।

बहस पैराकार सरकार व अप्रार्थी (वादी) अभिभाषक को सुनी गई। पैरोकार सरकार का कथन है कि श्रीमान के न्यायालय द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 01.10.2024 को निर्णय व डिक्री पारित की गई है इसमें पूर्व प्रकरण संख्या 1/23 जुबेदा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कडैयावन अपील नामान्तरण संख्या 202 विचाराधीन थी जिसका निर्णय दिंनाक 02.07.2024 को किया जाकर अपील स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 202 खारिज किया गया तथा जॉच कर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये गयें। माननीय न्यायालय में अप्रार्थी (वादी) द्वारा ग्राम रीछडा के खाता संख्या 193 के खसरा नम्बर 228,229,230 की भूमि में अप्रार्थी (वादी) के नाम से माफी रिज्युमशन हटाने का वाद पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 01.10.2024 पारित कर खाते से रिज्युमशन हटाने के आदेश दिये गये। खातेदार नन्दकिशोर पुत्र रितु सिंह के हिस्सा 1/4 के हिस्सा 1/2 में अप्रार्थी (वादी) क्रम 6 भव्य गेरा एवं हिस्सा 1/2 में अप्रार्थी (वादी) क्रम 7 चन्द्रप्रकाश गेरा के नाम नियमानुसार नामान्तरण खोलने के आदेश दियें। माननीय न्यायालय के दो निर्णय दिनांक 01.10.2024 एवं निर्णय दिनांक 02.07.2024 प्रभावी है। निर्णय दिनांक 02.07.2024 की पालना नही हो जाती तब तक निर्णय दिनांक 1.10.2024 की पालना नही की जा सकती है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। तथा निर्णय दिनांक 01.10.2024 रिव्यू किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी (वादी) का कथन है कि विवादित आराजी का माननीय न्यायालय से दो बार निर्णय हो गया है तो प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अप्रार्थी (वादी) को कोई आपत्ति नही है।

बहस पैराकार सरकार एवं अभिभाषक अप्रार्थी (वादी) सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पैराकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र एवं उभयपक्षकारान की बहस सुनने के बाद विवादित आराजी वाके ग्राम रीछडा तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 228, 229, 230 की भूमि का दो बार निर्णय होना बताया है एक निर्णय दिनांक 2.07.2024 को तथा दूसरा निर्णय दिनांक 1.10.2024 को पारित किया गया है दोनो निर्णयो की पालना एक साथ नही की जा सकती। इसलिए निर्णय दिनांक 01.10.2024 (प्र.सं. 126/2024 उनवान कुसुमलता बनाम सरकार) को रिव्यू करने हेतु पैराकार सरकार तहसीलदार द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है निर्णय दिनांक 2.07.2024 की पालना के बाद ही निर्णय दिनांक 1.10.2024 की पालना सम्भव है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01.10.2024 को निर्णित प्रकरण के दौरान, इसी भूमि से सम्बन्धित अन्य प्रकरण 01/23 निर्णय दिनांक 02.07.2024 से सम्बन्धित जानकारी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं थी। चूंकि इसी भूमि से सम्बन्धित पूर्व निर्णय दिनांक 02.07.2024 (प्र.सं. 01/23 अपील

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नामान्तरकरण उनवान जुबेदा बनाम पंचायत कडैयावन) की पालना हेतु तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया गया है तथा इस निर्णय की पालना होने के बाद में इसी भूमि से सम्बन्धित निर्णय दिनांक 01.10.2024 (प्र.सं. 126/2024 उनवान कुसुमलता बनाम सरकार) पर प्रभाव पडेगा। दोनों निर्णयों में विवादित आराजी समान होने से न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 02.07.2024 (प्र.सं. 01/23 अपील नामान्तरकरण उनवान जुबेदा बनाम पंचायत कडैयावन) की पालना होनी है अर्थात द्वितीय निर्णय की पालना संभव नहीं है। अतः धारा 114 सीपीसी सपठित आदेश 47 नियम 1 के तहत विवादित भूमि से सम्बन्धित वाद में निर्णय दिनांक 01.10.2024 प्रकरण संख्या 126/2024 उनवान कुसुमलता बनाम सरकार को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी (प्रतिवादी) पैरोकार सरकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 114 सीपीसी एवं आदेश 47 नियम 1 स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 126/2024 उनवान कुसुमलता वगै. बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2024 खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा